~~उपाध्यक्ष महोदय~~ अध्यक्ष महोदय

दिनांक 18.9.91 को हुई प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर दिया गया है जो सम्मुख तरफ आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

23.9.91
सचिव।

अध्यक्ष

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 18/09/1991 में अधिकारियों की उपस्थिति :-

क्र	अधिकारियों का नाम एवं विभाग	हस्ताक्षर
	श्री नागेन्द्र सिंह, आयुक्त/ अध्यक्ष	
	एम० के० अग्रवाल महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून	
	आर सी० द्विवेदी वि सचिव पर्व विकास	[illegible] 18.9.91
	एस० अग्रवाल वि० स० वित्त	[illegible]
5.	[illegible] - उ. व. संरक्षक (गढ़वाल)	[illegible]
	आशुतोष त्रिपाठी मुख्य अभियन्ता उ.प्र. जल निगम देहरादून	[illegible]
	एस. सी गुप्ता अधिशासी अभियन्ता लो.नि.वि. चकराता	[illegible]
	के. एल. साह उपनिदेशक पर्यटन प्रतिनिधि आयुक्त एवं महानिदेशक पर्यटन देहरादून	[illegible] 18/9/91
	बी०पी० जसोला प्रशासनिक मजिस्ट्रेट मसूरी एवम संयुक्त सचिव म०दे०वि०प्रा० मसूरी	[illegible] 18/9
0.	[illegible] नगर पालिका [illegible]	[illegible]
	राजेन्द्र कुमार वर्मा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० आवास विकास परि०, दे० दू०	[illegible]
2.	एस० एस० बिसारिया, अधीक्षण अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण मण्डल, देहरादून.	[illegible]
3.	जोत सिंह —	अध्यक्ष नगरपालिका —	[illegible]
4.	राजेन्द्र सेठी	अधिशासी अधिकारी मसूरी धीज	राजेन्द्र सेठी
5.			

गत बैठक की कार्यवाही

(क) गत बैठक की कार्यवाही पढ़ी गयी एवं सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। पुष्टिस्वरूप आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही पुस्तिका में हस्ताक्षर किए गए ।

पिछली बैठक के कार्यवृत्त के बारे में अध्यक्ष,नगरपालिका देहरादून का मत था कि विषय क्रमांक-3 पर उल्लिखित समिति का गठन नहीं हुआ था जैसा कि कार्यवृत्त में व्यक्त किया गया है। सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि मामले में गठित समिति की आख्या यथाशीघ्र प्राप्त कर सम्पूर्ण प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष नगरपालिका मसूरी भी समिति के सदस्य रहेंगे।

यह भी निर्णय हुआ कि पिछले 5 वर्षों में राजपुर रोड पर जितने भी व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृत ~~ह~~ किए गए है,उनके बारे में परीक्षण कर लिया जाए कि ये नियमानुसार स्वीकृत हुए हैं अथवा नहीं। 500 वर्ग मीटर से ऊपर के आवासीय एवम् व्यावसायिक मानचित्रों की प्रतियां सम्बन्धित नगरपालिका को भेजी जाया करें।

(ख) गत बैठक की अनुपालन आख्या

गत बैठक की अनुपालन आख्या पढ़ी गयी एवं सर्व-सम्मति से पुष्टि की गयी।

विषय क्रमांक:-01

प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष श्री गुलबीर सिंह के स्थानान्तरण से सभी सदस्य अवगत हुए। श्री सिंह द्वारा इस प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए जो कार्य किए उनके लिए बैठक में आभार प्रकट किया गया तथा श्री संजीव सरन जिनकी नियुक्ति शासन द्वारा इस पद पर की गयी है,का बैठक में स्वागत किया गया।

विषय क्रमांक:-02 प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सुनिष्ठा सिंह को 1500/- मासिक भवन किराया दिए जाने के संबंध में।

इस विषय पर सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि मासिक भवन किराया अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो गाईड लाईन्स दी गयी है उसके अनुरूप प्रस्ताव बनाकर अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

विषय क्रमांक:-03 वास्तुविद सलाहकार नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण में वास्तुविद पैनल बनाए जाने हेतु उपाध्यक्ष,म0दे0वि प्रा0 मुख्य नगर एवम् ग्राम नियोजक,उ0प्र0 मुख्य अभियंता,लो0नि0वि0 देहरादून तथा सी0बी0आर0आई रूड़की के विशेषज्ञ की एक कमेटी गठित किए जाने हेतु निर्णय लिया गया। निर्देश दिए गए कि कमेटी वास्तुविदों को दिए जाने वाले भुगतान तथा तत्सम्बन्धी टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स के बारे में अपनी संस्तुति बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

विषय क्रमांक:-04 कम्प्यूटर क्रय करने के सम्बन्ध में।

सर्व-सम्मति से कम्प्यूटर क्रय करने तत्सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तथा व्यय करने के लिए उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

विषय क्रमांक:-05 मसूरी हुसैनगंज (नेहरूपुरम) आवासीय योजना के संबंध में।

प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ किए जाने से पूर्व अध्यक्ष,नगरपालिका मसूरी,महाप्रबन्धक,गढ़वाल जल संस्थान,अधीक्षण अभियंता

सा0नि0वि0, अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग, सहयुक्त नियोजक, उपाध्यक्ष मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण तथा आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा प्रश्नगत स्थल का ~~संयुक्त~~ निरीक्षण कर लिया जाए। निरीक्षण के दौरान योजना से सम्बन्धित समस्त पहलुओं कौस्टिंग, कार पार्किंग तथा अन्य बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से विचार कर लिया जाए।

विषय क्रमांक:-6 <u>आवासीय योजना इन्दिरापुरम फेज-।। के अनुमोदन का प्रस्ताव।</u>

योजना की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक:-7 <u>ग्राम रायपुर गुलरघाटी मार्ग पर ग्राम नथुवावाला में 200 बीघा भूमि प्राधिकरण की आवासीय योजना हेतु लेने सम्बन्धी।</u>

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों की यह आम राय थी कि चूँकि प्रश्नगत भूमि का भूउपयोग महायोजना में ग्रीन बेल्ट है अतः पहले भूउपयोग परिवर्तन किए जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार परीक्षण करा लिया जाए। तदुपरान्त इस मामले को प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

विषय क्रमांक:-8 <u>ग्राम सभा अजबपुरकलां क्षेत्रान्तर्गत रिस्पना पुल व रेलवे लाईन के बीच रिस्पना नदी के पश्चिम में स्थित भूमि व रेलवे लाईन से दीप नगर प्राईमरी स्कूल के मध्य स्थित ग्राम सभा की 8.85 हेक्टेअर भूमि को आवासीय योजना हेतु लेने का प्रस्ताव।</u>

ग्राम सभा अजबपुरकलां क्षेत्रान्तर्गत रिस्पना पुल व रेलवे लाईन के बीच रिस्पना नदी के पश्चिम में स्थित 8.85 हैक्टेअर भूमि को पुर्नग्रहित किए

का प्रस्ताव सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया और यह भी निर्णय लिया कि योजना बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि योजना तर्गत जलापूर्ति तथा सीवेज के लिए पर्याप्त प्राविधान किए जाएं।

य क्रमांक:-9 <u>ग्राम सभा अधोईवाला के ग्राम अधोईवाला में खसरा नम्बर-102 मि0 क्षेत्रफल 4.30 एकड़ भूमि का पुर्नग्रहण किए जाने के सम्बन्ध में।</u>

प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई तथा सर्व-सम्मति से इस के मूल्य व लगान के भुगतान हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

षय क्रमांक:-10 <u>ग्रामसभा अजबपुरखुर्द के अन्तर्गत ग्राम केदारपुर में स्थित ग्रामसभा की 12 एकड़ भूमि को प्राधिकरण की आवासीय योजना हेतु पुर्नग्रहण किए जाने के सम्बन्ध में।</u>

केदारपुर स्थित ग्रामसभा की 12 एकड़ की भूमि को प्राधिकरण आवासीय योजना हेतु पुर्नग्रहण कि ए जाने हेतु प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से मोदित किया गया तथा प्रश्नगत भूमि पर आवासीय योजना के क्रियान्वयन तु हुडको अथवा अन्य किसी संस्था से ऋण लेने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

विषय क्रमांक:-11 <u>ग्रामसभा रायपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्रामसभा रायपुर में 5.52 एकड़ भूमि का प्राधिकरण आवासीय योजना हेतु पुर्नग्रहण संबंधी प्रस्ताव।</u>

ग्रामसभा रायपुर में 5.50 एकड़ भूमि का पुर्नग्रहित किए जाने तथा इस भूमि पर आवासीय योजना तथा अन्य विकास कार्यों को करने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव का सर्व-सम्मति से अनुमोदन किया गया।

य क्रमांक:-12 जिला देहरादून में ग्रामसभा सेवलांकलां में माजरा में स्थित 32.9 एकड़ भूमि में ट्रान्सपोर्ट नगर बनाए जाने हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों/अधिकारियों द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर की घ्र स्थापना हेतु बल दिया गया तथा इस हेतु हुडको एवम् अन्य वित्तीय एजेन्सियों ऋण प्राप्त कर प्रतिकर का भुगतान किए जाने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया। भी निर्णय लिया गया कि ट्रान्सपोर्ट नगर के लिए शीघ्र ले-आऊट तैयार कराकर सका अनुमोदन प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्राप्त कर लिया जाए।

षय क्रमांक:-13 सहस्त्रधारा मार्ग पर आवासीय तथा अन्य योजनाओं के विकास के लिए भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विस्तृत सर्वे कराकर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में मानचित्र इत्यादि पूर्ण विवरण भी प्रस्ताव के साथ संलग्न किए जाएं।

इस क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण रूकवाने के उद्देश्य से अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत स्थल पर प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने के सम्बन्ध में नोटिस बोर्ड लगा दिया जाए तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से भी व्यापक प्रचार किया जाए जिससे इस भूमि पर प्लौटिंग करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके।

विषय क्रमांक:-14 ग्राम माजरा परगना केन्द्रीय दून में 17.32 एकड भूमि का बस स्टैण्ड हेतु अर्जन।

इस योजना के वित्तीय प्रबन्ध हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया एवम् निर्देश दिए गए कि उपाध्यक्ष इस मामले में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अध्यक्ष नगरपालिका, देहरादून तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम से इस योजना

के सम्बन्ध में आवश्यक विचार-विमर्श कर एक ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करें जिसके पश्चात् प्रतिकर के भुगतान पर निर्णय लिया जायेगा।

विषय क्रमांक:-15 श्री दिगम्बर प्रसाद लखेडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में ग्राम सेवलाकला परगना केन्द्रीय दून जिला देहरादून के भूउपयोग परिवर्तन सम्बन्धी।

सदस्यों द्वारा इंगित किया गया कि इस विषय पर भूउपयोग परिवर्तन प्रस्ताव पर विचार करने हेतु पूर्व में समिति का गठन किया गया था उसके द्वारा दी गयी संस्तुति पर मात्र दो ही सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। प्राधिकरण के सचिव को निर्देशित किया गया कि वे शेष सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त कर मामले को प्राधिकरण के विचार हेतु पुनः प्रस्तुत करें।

विषय क्रमांक:- 16 देहरादून नगर के ट्रैफिक प्लान के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हुआ। ट्रैफिक प्लान ट्रैफिक कन्सलटेण्ट से बनवाने का निर्णय लिया गया तथा निम्न प्रकार एक समिति का गठन किया गयाः-

1- जिलाधिकारी,देहरादून ------- अध्यक्ष
2- उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0 ------- संयोजक/सदस्य
3- पुलिस अधीक्षक,देहरादून ------- सदस्य
4- अध्यक्ष,न0पा0दे0दून ------- सदस्य
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी --- सदस्य

समिति को ट्रैफिक प्लान बनवाने हेतु चौराहों/सड़कों का चयन करने, सलाहकार के कार्य क्षेत्र का विस्तार निर्धारित करने तथा सलाहकार को दी जाने वाली फीस के बारे में निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

विषय क्रमांकः- 17 प्राधिकरण कार्य हित में एक अतिरिक्त वाहन क्रय किए जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी और शासनादेशों की आवश्यकतानुसार अनुमति लेने हेतु निर्देशित किया गया।

विषय क्रमांकः- 18 उ0प्र0 विधान परिषद् की याचिका समिति को प्रस्तुत सरस्वती नगर व गोविन्दगढ़ में अवैध दुग्धशालाओं को हटाने जाने संबंधी याचिका समिति के सम्बन्ध में।

दुग्धशालाओं को अन्यत्र स्थापित करने की विस्तृत है योजना तैयार करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया और उनसे अपेक्षा की गयी कि वे सम्बन्धित अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर प्रकरण का परीक्षण कराकर प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में समिति की संस्तुतियों के साथ विचारार्थ प्रस्तुत करें। वे इस सम्बन्ध में अध्यक्ष नगरपालिका, देहरादून से भी विचार-विमर्श कर लें।

विषय क्रमांकः- 19 ग्रामसभा अधोईवाला में पुर्नग्रहित भूमि खसरा नम्बर-102 मि0 क्षेत्रफल 4.03 एकड़ का राजीव कालोनी अजबपुरकलां का आवंटन।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि इस मामले से सम्बन्धित पत्रावली अध्यक्ष/आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ एवम् आदेशार्थ प्रस्तुत कर दी जाए। आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएं तद्नुसार इस मामले में कार्यवाही की जाए।

विषय क्रमांकः-20 परगना मैजिस्टेट मसूरी जो कि प्राधिकरण के पदेन संयुक्त सचिव है, को प्रतिमाह रू0-500 मानदेय भत्ता दिए जाने विषयक।

परगना मैजिस्टेट मसूरी द्वारा संयुक्त सचिव मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण मसूरी के तौर पर की जा रही सेवाओं को सराहा गया। बैठक में यह

बात उठाई गयी चूँकि शासन द्वारा मानदेय दिए जाने पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है अत: मानदेय दिया जाना फिलहाल सम्भव नहीं होगा।

विषय क्रमांक:- 21 प्राधिकरण में भू-अध्याप्ति अधिकारी तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार व तीन लेखपालों की भू-अध्याप्ति कार्य के लिए अनुबन्ध पर रखे जाने विषयक।

प्राधिकरण में भूअध्याप्ति के बढ़ते हुए कार्यों को देखते हुए सर्व-सम्मति से एक रिटायर्ड तहसीलदार/नायब तहसीलदार के अधिकारी तथा दो लेखपालों की नियुक्ति तीन-तीन माह के अनुबन्ध पर किए जाने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकार से तीन-तीन माह के अनुबन्ध पर नियुक्त किए गए तहसीलदार/नायब तहसीलदार/लेखपालों को क्रमश: 3,000/- 2,000/- व 1,000/- प्रति माह की धनराशि पारिश्रमिक दिया जाए।

विषय क्रमांक:-22 ग्राम धर्मपुर डाँडा स्थित खसरा नम्बर-561 से 592 के भूउपयोग परिवर्तन किए जाने के सम्बन्ध में।

प्रकरण पर विचार-विमर्श कर इसे निरस्त किया गया ।

विषय क्रमांक:-23 सभाकक्ष,साईकिल स्टैण्ड,कार स्टैण्ड शैड तथा गेस्ट हाउस आदि के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण कार्यालय परिसर में सभाकक्ष,साईकिल स्टैण्ड,कार स्टैण्ड शैड देहरादून में चार कमरों के भवन तथा मसूरी में बेकरी हिल के नीचे दो कमरों का कार्यालय तथा लायब्रेरी पार्किंग के नीचे, 5 कमरों के निर्माण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

363

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से</u>

उपाध्यक्ष द्वारा बैठक में अवगत् कराया गया कि प्राधिकरण की बैठकें सामान्यतः तीन माह के अन्तराल पर होती है तथा इस बीच कुछ ऐसे मामलों पर निर्णय लेना होता है जिनका क्रियान्वयन तुरन्त आवश्यक हो। ऐसे मामलों में यदि प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता होती है तो योजना के क्रियान्वयन में बिलम्ब होता है तथा आवश्यक कार्य रुक जाते हैं। इस मामले में सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों पर कार्य हित में अध्यक्ष/आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर कार्य तत्काल करा लिया जाए तथा प्राधिकरण की आगामी बैठक में इनकी ~~अनुमति~~ पुष्टि करा ली जाए।

अनुपूरक विषयों पर समयाभाव के कारण चर्चा नहीं होगी।

(सुनिष्ठा सिंह) सचिव, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।	(संजीव सरन) उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।	(नागिन्दर सिंह) आयुक्त/अध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।

...1991 की कार्यवाही की पुष्टि
... संशोधनों के साथ
... ए गए